The Bihar Gambling (Prohibition) Act, 2026

Act No. 28 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 986) पटना, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना
13 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–15/2026–6588/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 28, 2026]

बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026

राज्य के भीतर जुआ खेलने तथा सामान्य जुआघरों के संचालन पर प्रतिषेध लगाने और उससे संबद्ध अथवा अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा अब इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है–

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**–

(1) यह अधिनियम बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**–

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026।

(ख) "सट्टेबाजी या दाँवलगाना" से अभिप्रेत होगा किसी अनिश्चित घटना के परिणाम पर धन, आभासी मुद्रा, डिजिटल मूल्य या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु को, चाहे वह विधि द्वारा मान्य मुद्रा के समतुल्य हो या न हो, के माध्यम से बाजी लगाना।

(ग) "कंपनी" से अभिप्रेत है निगमित निकाय, तथा इसमें शामिल है, समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत विधिवत गठित और निबंधित फर्म या व्यक्तियों का संघ।

(घ) "जुआ"में सम्मिलित है–

(i) वित्तीय लाभ या प्रतिफल के उद्देश्य से भौतिक या ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या आभासी माध्यमों से सट्टेबाजी या दाँव लगाना;

(ii) कोई भी ऐसा संव्यवहार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में स्वयं दाँव अथवा शर्त लगाता है या किसी अन्य व्यक्ति को दाँव अथवा शर्त लगाने के लिए नियुक्त, नियोजित या अधिकृत करता है;

(iii) दाँव, बाजी, जीत या पुरस्कारों, चाहे वह नगद में हो या किसी अन्य रूप में, का संग्रह, याचना, प्राप्ति या वितरण, जो दाँव लगाने या सट्टेबाजी के संबंध में हो; और

(iv) ऐसा कोई भी कार्य या लोप, जिसका आशय सट्टेबाजी या जुए, या उसके संग्रह, याचना, प्राप्ति या वितरण में सहायता करना, दुष्प्रेरण करना, सुगम बनाना या बढ़ावा देना हो।

स्पष्टीकरण–यह अप्रासंगिक है कि दाँव अथवा शर्त प्रत्यक्ष रूप से की गई है या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसके लिए दिया गया प्रतिफल मौद्रिक है या अन्य किसी रूप में।

(ड.) "जुआ खेलने के उपकरणों" से अभिप्राय–

(i) ताश, पासा, काउंटर, गेमिंग टेबल, बोर्ड, कपड़े या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग भौतिक रूप के साथ–साथ आभासी, इलेक्ट्रॉनिक या अमूर्त रूप में जुआ के विषय या साधन के रूप में किया जाता हो या किये जाने का इरादा हो;

(ii) कोई भी दस्तावेज, रजिस्टर, बही, पर्ची, टोकन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख, जिसका उपयोग जुआ के अभिलेख या साक्ष्य के रूप में किया गया हो या किये जाने का इरादा हो;

(iii) जुए से प्राप्त होने वाली आय में नकद, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण, लेन–देन, जीत या पुरस्कार शामिल है, जो जुए के संबंध में वितरित किये गये हैं या वितरित किये जाने का इरादा हो।

(च) "सामान्य जुआघर" से अभिप्राय है कोई भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म–

(I) जहाँ जुआ खेला जाता हो; या

(II) जहाँ जुआ के साधन, उस स्थान के स्वामी, अधिभोक्ता, उपयोगकर्ता या प्रबंधक के लाभ या मुनाफे के प्रयोजन से रखे या प्रयुक्त किए जाते हो।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए जुआ में निम्नलिखित पर दाँव अथवा शर्त लगाना भी सम्मिलित होगा–

(i) किसी वस्तु के व्यापार मूल्य पर या व्यापार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर, या उस उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाले अंकों या संख्याओं पर; या

(ii) किसी स्टॉक या शेयर के बाजार मूल्य पर या उस मूल्य को बताने के लिए उपयोग किये जाने वाले अंकों या संख्याओं पर; या

(iii) वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटना के घटित होने या न होने पर; या

(iv) किसी भी अंक, आकृति, संकेत, प्रतीक या चित्र पर, जिसका उपयोग वर्ली, मटका, सट्टा अथवा इसी प्रकार के जुए के प्रतीक के संबंध में शुरूआती, मध्य या समापन अंकों, आकृतियों, संकेतों, प्रतीकों या चित्रों को बताने या घोषित करने के लिए किया जाता है; या

(v) किसी भी अंक, आकृति, संकेत, प्रतीक या चित्र पर, जिसका उपयोग किसी भी गेमिंग या जुए के किसी अन्य रूप के संबंध में दाँव लगाने या सट्टेबाजी के लिए किया जाता है ।

(छ) "ऑनलाइन जुआ" से अभिप्राय है कम्प्यूटर, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, संचार उपकरण, इलेट्रॉनिक एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर या किसी भी आभासी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से –किसी भी ऐसी पद्धति द्वारा जिसमें अंकों, आकड़ों, चिन्हों, प्रतीकों या चित्रों का चयन, निर्माण या स्वीकृति शामिल हो–जुआ खेलने में शामिल होना, उसमें भाग लेना, उसका आयोजन करना, उसे सुगम बनाना या उसके लिए उकसाना ।

(ज) ''भाग्य का खेल'' अर्थात् एक ऐसा खेल जिसमें परिणाम मुख्य रूप से प्रतिभागी के ज्ञान, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता या अनुभव से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि मुख्य रूप से संयोग या भाग्य से निर्धारित होता है।

स्पष्टीकरण–पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची 'ए' में निर्दिष्ट सभी खेलों को 'भाग्य का खेल' माना जायेगा ।

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम।

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय है इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त कम्प्यूटर, संचार उपकरण, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, कम्प्यूटर प्रणाली, साईबर कैफे और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों से वही अभिप्रेत होंगे, जो समय–समय पर यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके लिए समानुदेशित है।

(3) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों से, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है और अन्य अधिनियमों में परिभाषित है, वही अभिप्रेत होंगे, जो उनसे संबंधित अधिनियमों में उनके लिए समानुदेशित हो।

अध्याय II
अपराध और दण्ड

3. सार्वजनिक स्थानों पर जुआ।–

(i) कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, जो किसी सार्वजनिक सड़क, मार्ग या ऐसे स्थान पर जहाँ जनता का प्रवेश है या अनुमति है, जुआ खेलते हुए पाया जाए या जुए में सहायता या दुष्प्रेरण कर रहा हो।

(ii) उप धारा (i) के अंतर्गत गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान के क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और विचारण के पश्चात् दोषसिद्धि होने पर उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा, जो छह माह तक की हो सकती है; अथवा ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये तक हो सकता है; अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

4. **सामान्य जुआघर का संचालन, प्रबंधन या वित्तपोषण।**—

जो कोई—

(i) इस अधिनियम के लागू होने की सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वामी, अधिभोगी या उपयोगकर्ता होते हुए, उसे सामान्य जुआघर के रूप में खोलता है, रखता है या उपयोग करता है; या

(ii) उपर्युक्त प्रकार के किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वामी, अधिभोगी होते हुए, जानबूझकर या इच्छापूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को उसे सामान्य जुआघर के रूप में खोलने, अधिभोग करने, उपयोग करने या बनाये रखने की अनुमति देता है; या

(iii) जुए के प्रयोजन से खोले गये, अधिभोग किये गये, उपयोग में लाये गये या रखे गये किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के व्यवसाय का रख—रखाव करता है, प्रबंधन करता है, संचालन करता है या किसी भी प्रकार से सहायता करता है; या

(iv) जुए के प्रयोजनों के लिए अथवा व्यक्तियों को ऐसे किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुआ खेलने हेतु सक्षम बनाने के लिए धन या कोई वित्तीय सहायता अग्रिम देता है, उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है, दंडनीय होगा—

(क) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा आर्थिक दण्ड से भी दंडनीय होगा, जो पचास हजार रूपये तक हो सकता है;

(ख) बाद के अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा एक लाख रूपये तक की जुर्माने की राशि भी दंड स्वरूप अधिरोपित की जा सकती है ।

5. **सामान्य जुआघर में जुआ खेलते पाए गए व्यक्ति।**—अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में—

(i) ताश, पासा, गोटियाँ, धन, ऑनलाईन प्लेटफॉर्म या जुए के अन्य साधनों से खेलता हुआ पाया जाए; या

(ii) जुए के प्रयोजन से वहाँ उपस्थित हो,

उसे ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा, अथवा ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

6. **ऑनलाइन जुआ।**—अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जुए में संलिप्त रहता है; या किसी को लिप्त रहने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह दंडनीय होगा—

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा पचास हजार रूपये से अन्यून के आर्थिकदण्ड से, जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा;

(ii) पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा एक लाख रूपये से अन्यून के जुर्माने से, जिसे दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

7. **जुए के लिए बैंक खातों, वॉलेट या डिजिटल साधनों का उपयोग।**—अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बैंक खाता, मोबाइल एप्लिकेशन, वॉलेट खाता या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य वित्तीय या डिजिटल खाता, जुए या ऑनलाइन जुए के उद्देश्य से उपलब्ध कराता है और उससे कोई लाभ या मुनाफा प्राप्त करता है, वह छह माह तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

8. **पहचान बताने से इनकार।**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रवेश किये गये किसी सामान्य जुआघर में पाया जाता है, तो ऐसे पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर या मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये जाने पर, ऐसे पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम और पता बताने के लिए अपेक्षा किये जाने पर—

(i) बताने से इनकार करता है; या

(ii) झूठा नाम या पता बताता है,

तो वह विचारण के पश्चात् दोषसिद्धि पर, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जिसे पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

9. **कंपनियों द्वारा अपराध।**—

(i) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था,उसे और साथ ही स्वयं कंपनी को भी, उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगाः

परन्तु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पूरी कोशिश की थी।

(ii) उप–धारा (i) में किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी (जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी भी शामिल हैं) की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, अथवा उनकी किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वे तदनुसार कार्रवाई और दंड के पात्र होंगे।

व्याख्या— इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का संघ शामिल है;तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' का अर्थ है उस फर्म का भागीदार।

10. **जुए से संबंधित सूचना का मुद्रण, प्रकाशन और प्रसार।**—अगर कोई व्यक्ति, किसी भी रीति से, चाहे वह कैसी भी हो; वर्ली, मटका या जुए के किसी अन्य रूप से संबंधित कोई अंक या आँकड़े या चिन्ह या प्रतीक या चित्र या ऐसे दो या अधिक अंकों या आँकड़ों या चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों के संयोजन को किसी भी तरीके से प्रकाशित या प्रचारित करता है या किसी भी प्रकार के उपकरण अपनाता है या ऐसे अंकों या आँकड़ों या चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों या उनमें से किन्हीं दो या अधिक के संयोजन द्वारा सट्टा लगाने के प्रयोजन के लिए सूचना का प्रसार करता है या प्रसार करने का प्रयास करता है या प्रसार को बढ़ावा देता है, वह दंडनीय होगा—

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा दस हजार रूपये से अन्यून के आर्थिक दण्ड से, जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा;

(ii) पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा पचास हजार रूपये से अन्यून के आर्थिक दण्ड से, जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

11. **जुए के विज्ञापन पर प्रतिषेध।**—ऐसे सभी जुआ खेलों का विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या संचार के किसी भी अन्य माध्यम से, जिसमें कौशल की तुलना में भाग्य अथवा संयोग की प्रधानता हो, एतद् द्वारा निषिद्ध है।

12. **विज्ञापन के लिए दंड।**—अगर कोई धारा 10 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि तक के कारावास से, जिसे तीन वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना से, जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

अध्याय III
विविध

13. प्रवेश करने, तलाशी लेने, जब्ती और खातों को फ्रीज करने की शक्तियाँ।–कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप–निरीक्षक से अन्यून पद का हो, निम्नलिखित कार्य कर सकता है–

(i) किसी भी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग किया जाता है, किसी भी समय आवश्यक बल और सहायता के साथ प्रवेश कर सकता है एवं वहाँ पाए गए सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगा;

(ii) ऐसे सभी व्यक्तियों और ऐसे सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सभी हिस्सों की तलाशी ले सकेगा;

(iii) **जब्त**—

(क) ऐसे व्यक्तियों के पास पाया गया सारा धन;

(ख) जुए के सभी उपकरणों; और

(ग) ऐसे स्थान पर पाई जाने वाली सभी धनराशि, धनराशि के लिए प्रतिभूतियां और मूल्यवान वस्तुएं जिनके बारे में उचित संदेह है कि उनका उपयोग जुए के उद्देश्य से किया गया है या किया जाना है; और

(घ) ऐसे बैंक खातों, वॉलेट खातों या अन्य वित्तीय या डिजिटल खातों को फ्रीज करना जो जुए या ऑनलाइन जुए के उद्देश्य से उपयोग किए गए पाए जाते हैं।

14. जुए के उपकरणों के संबंध में उपधारणा।–कोई भी रजिस्टर, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्क्रिप्ट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस जिसमें अंक, आंकड़े, संकेत, प्रतीक या चित्र हों, या इनमें से दो या अधिक का कोई संयोजन हो, जो 'वर्ली', 'मटका', जुआ या जुए के किसी अन्य रूप से संबंधित हों, उन्हें जुए का उपकरण माना जाएगा।

व्याख्या– यदि किसी मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या अन्य डिवाइस में कोई जुआ या सट्टेबाजी का एप्लिकेशन डाउनलोड या उपयोग किया गया पाया जाता है, तो यह माना जायेगा; जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए; कि ऐसा एप्लिकेशन जुआ या सट्टेबाजी के उद्देश्य से ही डाउनलोड या उपयोग किया गया थाः

परंतु इस धारणा को तब खंडित किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति से उपकरण जब्त किया गया है, वह यह सिद्ध कर दे कि रजिस्टर, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या स्क्रिप्ट विशेष रूप से किसी वैध व्यापार, उद्योग, पेशे या व्यवसाय से संबंधित है और जुए का उपकरण नहीं है।

15. जुए के उपकरणों और आय का विनाश और जब्ती।–किसी व्यक्ति को सामान्य जुआघर चलाने या उसका उपयोग करने, या जुआ खेलने के उद्देश्य से वहाँ उपस्थित होने के लिए दोषी पाए जाने पर, सजा सुनाने वाला मजिस्ट्रेट वहाँ पाए गए जुए के सभी उपकरणों को नष्ट करने का आदेश दे सकता है; और जब्त की गई सभी प्रतिभूतियों और अन्य वस्तुओं को बेचकर नकद में बदलने का आदेश दे सकता है, और यह निर्देश दे सकता है कि उससे प्राप्त आय और जब्त किए गए सभी धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएः

परंतु मजिस्ट्रेट अपने विवेक से यह आदेश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति का कोई भी भाग उन व्यक्तियों का वापस कर दिया जाए जो उसके हकदार प्रतीत होते हैं।

16. संज्ञेयता, जमानतीयता और अधिकार क्षेत्र।–भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता, 2023 में निहित किसी भी बात के बावजूद—

(i) इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 8 के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे, और धारा 4, 6, 9, 10 और 12 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर–जमानतीय होंगे;

(ii) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

17. अधिनियम का अन्य कानूनों के अतिरिक्त होना और सर्वोपरि प्रभाव।–इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान से प्रभावित नहीं होंगे । किसी मामले में विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न होने पर इस अधिनियम द्वारा लागू प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।–किसी लोक सेवक के विरुद्ध सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए या अपने पदीय कृत्यों के निर्वहन में किये जाने वाले कार्य के लिए या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियमन या आदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

19. नियमावली बनाने की शक्ति।–

(i) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी, जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रकाशित होने पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।–

(i) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत होः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

21. निरसन और व्यावृत्ति।–

(i) पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 1867 (1867 का बंगाल अधिनियम 2) जहाँ तक यह बिहार राज्य पर लागू है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के बावजूद-

(क) इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या उसके तहत विधिवत किया गया कोई भी कार्य या उससे हुई कोई भी क्षति प्रभावित नहीं होगा;

(ख) निरस्त अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई, जारी की गई अधिसूचना, पारित किया गया कोई भी आदेश, बनाया गया कोई भी नियम, शुरू की गई कार्यवाही या किया गया कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी कार्य,जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है, उसे इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी।

अनुसूची–ए

[धारा 2(1)(ज) देखें]

निम्नलिखित सभी खेल–

1. (i) बैकरॉ
   (ii) बिग सिक्स व्हील/व्हील ऑफ फॉर्च्यून
   (iii) शेमिन–डे–फेर
   (iv) क्रैप्स
   (v) फ्लश/ब्रैग/थ्री कार्ड गेम
   (vi) कीनो
   (vii) पॉन्टून 21
   (viii) रूलेट
   (ix) स्लॉट्स
   (x) सुपर पेन 9, और
2. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य भाग्य का खेल।

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

13 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–15/2026–**6589**/**लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2026** (बिहार अधिनियम 28, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 28, 2026]

THE BIHAR GAMBLING (PROHIBITION) ACT, 2026

AN

ACT

to provide for prohibiting gambling and the keeping of common gambling houses within the State of Bihar and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Now be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement.—*

(1) This Act may be called the Bihar Gambling (Prohibition) Act, 2026.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.—*

(1) ***In this Act, unless the context otherwise requires:-***

(a) ***"Act"*** means the Bihar Gambling (Prohibition) Act, 2026;

(b) ***"Betting or wagering"*** means the staking of money, virtual currency, digital value or anything of value, whether or not equivalent to or convertible into a recognized or legal currency, upon the outcome of any uncertain event;

(c) ***"Company"*** means a body corporate and includes a firm or other association of individuals, whether incorporated or not, duly constituted and registered under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as amended from time to time, or under any other law for the time being in force;

(d) ***"Gambling"* includes—**

(i) wagering or betting, whether conducted physically or through online, electronic, digital or virtual means, for the purpose of financial gain or reward;

(ii) any transaction by which a person, in any capacity whatsoever, wagers or bets, or employs, appoints or authorizes another person, in any capacity whatsoever, to wager or bet with any other person;

(iii) the collection, solicitation, receipt or distribution of bets, stakes, winnings or prizes, in money or otherwise, in respect of wagering or betting; and

(iv) any act or omission which is intended to aid, abet, facilitate or promote wagering or betting or the collection, solicitation, receipt or distribution thereof.

Explanation: It is immaterial whether the wagering or betting is conducted directly or indirectly and whether the consideration is monetary or otherwise.

(e) ***"Instrument of gambling"* includes—**

(i) cards, dice, counters, gaming tables, boards, cloths or any article used or intended to be used, whether physically or in any virtual, electronic or intangible mode, as a subject or means of gambling;

(ii) any document, register, ledger, slip, token, electronic record or digital record used or intended to be used as a record, register or evidence of gambling;

(iii) the proceeds of gambling, including cash, online or electronic transfer of funds or transactions, winnings or prizes in money or otherwise, distributed or intended to be distributed in respect of gambling.

(f) ***"Common gambling house"*** means any public or commercial place or online platform—

(I) in which gambling takes place; or

(II) in which instruments of gambling are kept or used, for the profit or gain of the person owning, occupying, using, keeping or managing such place.

Explanation: For the purposes of this clause, gambling includes wagering or betting—

(i) on the trade value of any article, or on the variation in such trade value, or on the digits or numbers used in stating such variation; or

(ii) on the market price of any stock or shares, or on the digits or numbers used in stating such price; or

(iii) on the occurrence or non-occurrence of rainfall or other natural events; or

(iv) on any digit, figure, sign, symbol or picture used in stating or declaring the opening, middle or closing digits, figures, signs, symbols or pictures in connection with worli, matka, satta or similar forms of gambling; or

(v) on any digit, figure, sign, symbol or picture used for wagering or betting in connection with any gaming or any other form of gambling.

(g) ***"Online gambling"*** means involvement in, participation in, organisation of, facilitation of, or abetment of gambling through computers, computer applications, computer networks, computer systems, mobile applications, internet platforms, communication devices, electronic applications, software or any virtual or digital platform by any method involving selection, generation or acceptance of any digits, figures, signs, symbols or pictures;

(h) ***"Game of chance"*** means a game in which the outcome is not predominantly determined by the knowledge, training, expertise or experience of the participant but is predominantly determined by chance or luck;

Explanation: Without prejudice to the generality of the foregoing, all games specified in Schedule 'A' shall be deemed to be games of chance.

(i) ***"Prescribed"*** means prescribed by rules made under this Act;

(j) ***"Schedule"*** means a Schedule appended to this Act.

(2) The words and expressions computer, communication device, computer network, computer resources, computer system, cybercafé and electronic record used in this Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Information Technology Act, 2000, as amended from time to time.

(3) Words and expressions used in this Act but not defined in this section and defined in any other law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such law.

CHAPTER II
OFFENCES AND PUNISHMENTS

3. *Gambling in public places.-*

(i) Any police officer may arrest without warrant and search any person found gambling; or aiding or abetting gambling, in any public street, thoroughfare or any place to which the public have access or are permitted to have access.

(ii) Every person arrested under sub-section (i) shall be produced before the Judicial Magistrate having jurisdiction over the place of arrest and shall, on conviction after trial, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months; or fine which shall not be less than three thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees; or with both.

4. *Keeping, managing or financing a common gambling house.-*

Whoever —

(i) being the owner, occupier or having the use of any public or commercial place or online platform, situated within the limits to which this Act applies, opens, keeps or uses the same as a common gambling house; or

(ii) being the owner or occupier of any public or commercial place or online platform as aforesaid, knowingly or willfully permits the same to be opened, occupied, used or kept by any other person as a common gambling house; or

(iii) maintains, manages, conducts or in any manner assists in carrying on the business of any public or commercial place or online platform opened, occupied, used or kept for the purpose of gambling; or

(iv) advances, furnishes or provides money or any financial assistance for the purposes of gambling or for enabling persons to resort to any public or commercial place or online platform for gambling, shall be punishable—

(a) for the first offence, with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees;

(b) for subsequent offences, with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

5. ***Persons found gambling in a common gambling house.*****—**Whoever is found in any public or commercial place or online platform—

(i) playing with cards, dice, counters, money, online gambling platforms or other instruments of gambling; or

(ii) present therein for the purpose of gambling,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

6. ***Online gambling.***—Whoever indulges in online gambling; or causes any person to indulge in online gambling, shall be punishable—

(i) for the first offence, with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees;

(ii) for subsequent offences, with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

7. ***Use of bank accounts, wallets or digital instruments for gambling.***— Whoever voluntarily makes available his bank account, mobile application, wallet account or any other financial or digital account, by whatever name called, for the purpose of gambling or online gambling and derives any benefit or profit therefrom, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

8. ***Refusal to disclose identity.***—If any person found in any common gambling house entered by a police officer under the provisions of this Act, upon being arrested by such officer or upon being brought before a Magistrate, and when required by such police officer or Magistrate to state his name and address—

(i) refuses to give the same; or

(ii) gives a false name or address,

he shall, on conviction after trial, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

9. ***Offences by companies.***—

(i) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company itself, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(ii) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, including any key managerial personnel as defined in the Companies Act, 2013, such director, manager, secretary or other officer, including key managerial personnel,

shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation:- For the purposes of this section-

(a) ***"company"*** means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) ***"director",*** in relation to a firm, means a partner in the firm.

10. ***Printing, publication and dissemination of gambling information.—***Whoever prints or publishes in any manner whatsoever; or circulates, disseminates or attempts to disseminate; or abets the dissemination of, any digits, figures, signs, symbols or pictures, or any combination of two or more thereof, relating to worli, matka or any other form of gambling, under any heading whatsoever or by adopting any device or method, for the purpose of betting or facilitating betting, shall be punishable—

(i) for the first offence, with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees;

(ii) for subsequent offences, with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees.

11. ***Prohibition of advertisement of gambling.—***The advertisement of all such gambling games, through electronic media, print media, digital platforms or any other means of communication, wherein chance predominates over skill, is hereby prohibited.

12. ***Penalty for advertisement.—***Whoever contravenes the provisions of section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.

CHAPTER III
MISCELLANEOUS

13. ***Powers of entry, search, seizure and freezing of accounts.***—Any police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police may-

(i) enter any public or commercial place or online platform, used as a common gambling house, at any time, with such force and with such assistance as may be necessary; arrest all persons found therein;

(ii) search all such persons and all parts of such public or commercial place or online platform;

(iii) seize—

(a) all money found with such persons;

(b) all instruments of gambling; and

(c) all moneys, securities for money and articles of value reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purpose of gambling which are found in such place; and

(d) freeze such bank accounts, wallet accounts or other financial or digital accounts as are found to have been used for the purpose of gambling or online gambling.

14. ***Presumption as to instruments of gambling.***—Any register, record, electronic record, script, laptop, mobile phone, computer or any other electronic or digital device whatsoever which contains digits, figures, signs, symbols or pictures, or any combination of two or more thereof, relating to worli, matka, gambling or any other form of gambling, shall be presumed to be an instrument of gambling.

Explanation: Where, in any mobile phone, computer or other electronic device, any gambling or betting application is found to have been downloaded or used, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that such application was downloaded or used for the purpose of gambling or betting:

Provided that such presumption may be rebutted if the person from whom such device is seized proves that the register, record, electronic record or script relates exclusively to a lawful trade, industry, business, profession or vocation and is not an instrument of gambling.

15. ***Destruction and forfeiture of instruments and proceeds of gambling.***—On conviction of any person for keeping or using a common gambling house or for being present therein for the purpose of gambling, the convicting Magistrate may order all instruments of gambling found therein to be destroyed; and order all or any of the securities for money and other articles seized, not being instruments of gambling, to be sold and converted into money, and direct that the proceeds thereof together with all moneys seized be forfeited to the Government:

Provided that the Magistrate may, in his discretion, order that any part of such property be returned to the persons appearing to him to be entitled thereto.

16. ***Cognizability, bailability and jurisdiction.***—Notwithstanding anything contained in the *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,* 2023—

(i) offences under sections 3, 5, 7 and 8 of this Act shall be cognizable and bailable, and offences under sections 4, 6, 9, 10 and 12 shall be cognizable and non-bailable;

(ii) no court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

17. ***Act to be in addition to and to have overriding effect.*—**The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force, and in case of any inconsistency between the provisions of this Act and any other State law, the provisions of this Act shall, to the extent of such inconsistency, have overriding effect.

18. ***Protection of action taken in good faith.*—**No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any public servant in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers under this Act or rules, regulations or orders made thereunder.

19. ***Power to make rules.-***

(i) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act, and such rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette or on such later date as may be specified therein.

(ii) Every rule made under this Act shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislature.

20. ***Power to remove difficulties.-***

(i) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(ii) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislature.

21. ***Repeal and savings.-***

(i) The Public Gambling Act, 1867 (Bengal Act 2 of 1867), in its application to the State of Bihar, is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal—

(a) the previous operation of the enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder shall not be affected;

(b) any action taken, notification issued, order made, rule framed, proceeding commenced, or anything done or purported to

have been done under the repealed Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been taken, issued, made or done under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE -A

[See section 2(I)(h)]

All the games listed below:-

1. (i) Baccarat
   (ii) Big Six Wheel/wheel of fortune
   (iii) Chemin-de-fer
   (iv) Craps
   (v) Flush/Brag/Three Card Game
   (vi) Keno
   (vii) Pontoon 21
   (viii) Roulette
   (ix) Slots
   (x) Super Pen 9, and
2. Any other game of chance as determined by the State Government from time to time.

Balram Dubey,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 986-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in